



2026:AHC-LKO:42253

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस
संख्या - 1177 वर्ष 2026

प्रमोद कुमार

.... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : पंकज गुप्ता, रचना गुप्ता, तुषार गुप्ता

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0027 वर्ष 2026 में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादंस के अधीन थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई में अभियुक्त/आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सिविल विवाद को आपराधिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में प्रश्नगत भूमि का मूल भूधारक स्वर्गीय कादी अली था और वली खान ने कादी अली की संपत्ति पर दावा किया है यद्यपि नामांतरण वाद का विनिश्चय कादी अली के पुत्र मुजफ्फर अली के पक्ष में किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में सिविल अपील संस्थित की गई थी जिसका विनिश्चय वली खान के विरुद्ध किया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि आवेदक द्वारा मुजफ्फर अली के उत्तराधिकारियों से क्रय की गई है और उक्त अंतरण विलेख निष्पादित किए जाने के समय संपत्ति राजस्व अभिलेख में मुजफ्फर अली के पक्ष में दर्ज थी। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में आवेदक जो दिल्ली में निवास कर रहा था ने मुख्तारनामा निष्पादित किया जिसे दूसरे पक्ष द्वारा यह कहते हुए विवादित किया गया कि वही छल और धोखाधड़ी करके जारी किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और केवल आवेदक पर दबाव बनाने के दृष्टिकोण से वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना कार्यवाही में सहयोग कर रहा है और वह यह वचन देता है कि वह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कभी भी विवेचना कार्यवाही से फरार नहीं होगा इसलिए प्रार्थना है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और यह आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और ऐसी स्थिति में वह किसी अनुतोष का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि का मूल भूधारक स्वर्गीय कादी अली था और वली खान ने कादी अली की संपत्ति पर दावा किया है यद्यपि नामांतरण वाद का विनिश्चय कादी अली के पुत्र मुजफ्फर अली के पक्ष में किया गया था; आवेदक विवेचना कार्यवाही में सहयोग कर रहा है और वह यह वचन देता है कि वह कभी भी विवेचना कार्यवाही से फरार नहीं होगा।

इस न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत किए जाने के अनुसार यह आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और आवेदक ने यह वचन दिया है कि वह सदैव विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त के दृष्टिगत यह न्यायालय इसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त वाद पाता है और इसलिए वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है और आवेदक अर्थात् प्रमोद कुमार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण के निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर प्रदान की जाती है:-

- (i) कि आवेदक जब भी अपेक्षित हो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;
- (iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) कि आवेदक नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो;
- (v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

29 जून, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।